

2021/1583

“खाता दुरुस्ती आवेदन-पत्र”
(राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136)

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,
शाहपुरा

विषय:- राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के संबंध में ।

प्रशासनिक अंशों के संय
अक्टूबर-2021

दय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि ग्राम खैरापुरा की
जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 के खाता संख्या 193

में राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 के अंतर्गत अभिरथपाल के नाम पर अभिरथपाल के वजाय अभिरथपाल किये जाने हेतु अग्रिशंका की जाती है।

अतः उक्त दुरुस्ती किये जाने के आदेश फरमाने की कृपा करें।

प्रार्थी
07/11

क्र.:- 25/11/21

(.....)

रिपोर्ट-पटवारी एवं भू.अ.नि.

दयजी,

निवेदन है कि ग्राम खैरापुरा के राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 के
खाता संख्या 193 में प्रार्थी का नाम अभिरथपाल दर्ज है। जबकि मुताबिक संलग्न
पटवारी व जानकारी के अनुसार खातेदार का सही नाम अभिरथपाल है। जो संशोधित किया
उचित है।

अतः रिपोर्ट श्रीमान् की सेवा में पेश है।

पटवारी
08/12/21

रिपोर्ट तहसीलदार/नायब तहसीलदार

प्रार्थी द्वारा रा0भू0राज0 अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर
राजस्व रिकॉर्ड में स्वयं का/पिता नाम दुरुस्त करवाने हेतु निवेदन किया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र
रिपोर्ट पटवारी अभिरथपाल भू0अ0नि0 अभिरथपाल एवं प्रार्थी द्वारा संलग्न दस्तावेज के आधार पर
खैरापुरा की जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 की खाता संख्या 193 में प्रार्थी का
अभिरथपाल के वजाय अभिरथपाल किये जाने हेतु अग्रिशंका की जाती है।

तहसीलदार/नायब तहसीलदार
शाहपुरा (भोलवाड़ा)


1504/21

30/11/21

आदेश

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार शाहपुरा ग्राम खैरापुरा जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 78 खाता

संख्या 193 में दर्ज प्रार्थी का नाम अभिरथपाल के स्थान पर अभिरथपाल संशोधन के
आदेश दिये जाते हैं।



प्रभाकर प्रसाद
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा (भोलवाड़ा)